रजिस्ट्री सं.डी (डी. एन.) 128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 1990/कार्तिक 26, 1912
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 1990/KARTIKA 26, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा विभाग)

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1990

का. आ. 3004.—निष्क्रांत संपत्ति प्रबंध अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव, श्री अरुण कुमार को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत निष्क्रांत संपत्तियों के महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से महाभिरक्षक नियुक्त करती है।

2. इस अधिसूचना द्वारा दिनांक 27-7-90 की अधिसूचना संख्या-1 (13)/विशेष सेल/90-एस. एस.-II/बन्दोबस्त (ख) का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं.-1 (3)/विशेष सेल/90—एस. एस -II (ग)/बन्दोबस्त (ख)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Internal Security)

(Rehabilitation Division)

New Delhi, the 9th October, 1990

S.O. 3004.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri Arun Kumar, Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division as the Custodian General of Evacuee Property for the purpose of performing functions assignd to such Custodian General by or under the said Act.

2. This supersedes notification No. 1(3)/Spl. Cell/90-SS. II/S(B) dated the 27th July, 1990

[No. 1(3)/Spl. Cell/90-SS.II/S(B)]

का. आ. 3005.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव श्री अरुण कुमार को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन ऐसे मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को

2936 GI/90—1

19. President,
Indian Weightlifting Federation,
2/2, Bajeshipur,
2nd Bye Lane,
Howrah-711002.

20. Smt. Usha Chatrath,
Joint Secretary (SPORTS),
Department of Youth Affairs & Sports,
Room No. 114-C,
Shastri Bhawan,
New Delhi.

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1990

का.आ. 3046.—समय-समय पर यथा संशोधित इस विभाग की 7 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या एफ. 13-11/85-डी-1 (खेल) को आंशिक रूप से निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :—

भाग II पैरा 4 (1) में "युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री-अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "युवा कार्यक्रम और खेल उपमंत्री-अध्यक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

दिनांक 10-2-88 की समसंख्यक अधिसूचना में पैरा 2 में उल्लिखित खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष के प्रबन्ध और प्रशासन के प्रयोजन के लिए सामान्य समिति के अध्यक्ष के रूप में "श्रीमती मारग्रेट आल्वा" के नाम के स्थान पर" श्री भक्त चरण दास" का नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[मि० सं० 13-35/87 खेल-4]

संतोष कुमार, निदेशक

New Delhi, the 23rd October, 1990

S.O. 3046.—This Department's Notification No. F. 13-11/85/-DI (SP) dated the 7th May, 1986, as modified from time to time, is herewith partially modified as follows:—

In part II, Para 4(i) the words—"Minister of State for Youth Affairs and Sports—Chairman" shall be substituted with the words—"Deputy Minister for Youth Affairs and Sports—Chairman".

In the Notification of even number dated 10-2-1988, the name of "Smt. Margaret Alva" as Chairman of the General Committee for the purpose of Management and Administration of National Welfare Fund for Sportspersons as mentioned in Para 2 thereof, shall be substituted with the name of "Shri Bhakta Charan Das".

[No. F. 13-35/87-SP-IV]

SANTOSH KUMAR, Director

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1990

(पुरातत्व)

का.आ. 3047 :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक, राष्ट्रीय महत्व का है

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है।

ऐसे आक्षेप पर, जो राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक/स्थल का नाम	संरक्षण के लिए शामिल किए जाने वाले राजस्व प्लाट संख्या
1	2	3	4	5
पश्चिमी बंगाल	हावड़ा	बेलूर पुलिस थाना : बाली मौजा : बारकपुर जे.एल.सं. 16	श्री मायेरघाट	सर्वेक्षण प्लाट सं. 1343

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
6	7	8	9
0.033 एकड़	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं 1450 पूर्व : गंगा नदी दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं. 1344 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लाट सं. 1361	महल फोरशोर हावड़ा कलक्टर साहब	

[सं 2/12/90-एम]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 30th October, 1990

(ARCHAEOLOGY)

S.I. 3047.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument/Site	Revenue plot numbers to be included under protection
West Bengal	Howrah	Belur P.S. Bally Mouza : Barakpur J.L. No. 16	Sri Mayer Ghat	Survey Plot No. 1343

Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9
0.033 Acres	North : Survey plot No. 1450. East - River Ganga South : Survey plot No. 1344 West : Survey plot No. 1361.	Mahal Foreshore Howrah Collector Saheb.	

[No(2/12/90-M]

का.आ. 3048.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्राचीन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संस्मारक में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से यदि कोई आक्षेप प्राप्त होंगे तो केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

अनुसूची

राज्य	जिला	परिक्षेत्र	संस्मारक/स्थल का नाम
1	2	3	4
बिहार	सिवान	जीरादेई	भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्व. डा. राजेन्द्र प्रसाद का पैतृक गृह ।

क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पणियां
6	7	8	9
0.75 एकड़	उत्तर—सड़क पूर्व:—सर्वेक्षण सं. 105 का शेष प्रभाग दक्षिण:—सर्वेक्षण स. 102/2ए और सर्वेक्षण सं. 105 का शेष प्रभाग पश्चिम में सर्वेक्षण सं. 105 का शेष प्रभाग।	पारम्बोक	स्तंभ 5 के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अवस्थित मंदिर और शिला स्तंभ, प्रस्तावित संरक्षण के अधीन नहीं हैं।

[फा. सं. 2/35/84-एम.]

एम. सी. जोशी, महानिदेशक

S.O. 3051.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be taken into consideration by the Central Government.

SCHEDULE

State	District	Locality	Name of Monument	Revenue plot numbers to be included under protection
1	2	3	4	5
Tamil Nadu	Salem	Ammankovil-patti village periaripatti	Brahmi rock inscription	Part of survey plot number 105 as shown in the site plan reproduced below.

Area	Boundaries	Ownership	Remarks
6	7	8	9
0.75 Acres	North : Road. East : Remaining portion of survey number 105. South : Survey number 102/2A and remaining portion of survey number 105. West : Remaining portion of survey number 105.	Paramboke	A temple and stone pillar located within the area specified under column 5 are not covered under proposed protection.

[F. No. 2/35/84-M]

M.C. JOSHI, Director General